संख्या-05/2022/ पी-179/001–38–9002 002 1 2022

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,

संयुक्त सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग – 9 **लखनऊ : दिनांक 07 जुलाई, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022–2023 के आय-व्ययक में सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष प्रथम क़िश्त 46.90 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या0–700/ एफ–31 (10)/यूपीआरआरडीए/2022–2023 दिनांक-27.05.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022– 2023 के आय–व्ययक में उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के संचालन हेतु सहायता अनुदान में वेतन भत्तों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 256.50 लाख (रूपये दो करोड़ छप्पन लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम तीन माह हेतु रू0 46.90 लाख (रूपये छियालीस लाख नब्बे हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।
2. धनराशि को एक मुश्त आहरित न करते हुए अपितु इसका आहरण आवश्यक्तानुसार किया जायेगा ।
3. धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बान्धित अधिकारी / कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 46,90,000 (रूपये छियालीस लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022 – 2023 के आय – व्ययक में अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 2515008000401 उ0प्र0 ग्रमीण सड़क विकास अभिकरण की स्थापना मानक मद 31 सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3 - यह आदेश वित्त (आय – व्यनयक) अनुभाग –1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या –13/2022/बी–1– 454 / दस – 2022–231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय ,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव ।

संख्या – 05 / 2022 / पी – 179 / 001 – 38 9002 002 1 2022 , तद् दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित : -

1 – महालेखाकार , (लेखा एवं हकदारी) , प्रथम / द्वितीय , उ0प्र0 प्रयागराज ।
2 – निदेशक , स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग , उ0प्र0 प्रयागराज ।
3 – आयुक्त , ग्राम्य विकास , उ0प्र0 , लखनऊ ।
4 – वित्त नियंत्रक , उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण , लखनऊ ।
5 – मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन , लखनऊ ।
6 – वित्त (व्यय – नियंत्रण) अनुभाग – 2 / वित्त (आय – व्ययक) अनुभाग – 1
7 – ग्राम्य विकास अनुभाग – 3
8 – गार्ड बुक ।

आज्ञा से ,

लाल धीरेन्द्र राव
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।